



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार 20 सितम्बर, 2016/29 भाद्रपद, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

ADDENDUM

Shimla-2, the 14th September, 2016

File No. EXN-F(10)-4/2004-I.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to add the following names in the list of Non-official members of H.P. Traders Welfare Board constituted vide Notification of even number dated 16-9-2013, addendums of even number dated 1-11-2013, 7-11-2014, 29-1-2015, 26-5-2015, 24-2-2016 and 7-4-2016 :—

1. Sh. Shyam Lal Vinayak, President of General Merchant Association, Ward No.1 Nalagarh, Distt. Solan, H.P. in place of Sh. Mukesh Gautam S/o Sh. Rameshwar Dass, Ward No.8, Nalagarh, Distt. Solan, H.P.
2. Sh. Deepak Guleria, House No.407, Kailash Niwas, Mathura Dass Street, Kotwali Bazar, Dharamshala, Distt. Kangra in place of Sh. R.K. Aggarwal, Kotwali Bazar, Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (E&T).

VIDHAN SABHA SECRETARIAT SHIMLA-171004

NOTIFICATION

Shimla- 4, the 15th September, 2016

No. VS/Estt./6-62/81-II.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Hon'ble Speaker is pleased to promote and appoint Smt. Shanti Devi, Section Officer as Under Secretary in the pay scale of Rs. 15600-39100+ 6600 Grade Pay +Rs.2500/- Secretariat Pay on regular basis with immediate effect.

Smt. Shanti Devi, Under Secretary will be on probation for a period of two years reckoned from the date of issue of this notification.

She will be entitled to exercise option for pay fixation under the saving clause as per clarification contained in letter number Fin (PR)B(7)-1/2009 dated 19.09.2009 within a period of one month.

By order,
Sd/-
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd September, 2016.

No. Ind-II(C)10-2/2016.—In supersession of this Department notification of even number dated 10-05-2016 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to reconstitute the State Level Committee to decide claims for grant of Freight Subsidy to new Industrial Units and existing Units on their substantial expansion in accordance to the provisions made under the Central Freight Subsidy Scheme, 2013 as under:—

1.	Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Inds.) to the Government of Himachal Pradesh.	<i>Chairman</i>
2.	Principal Secretary/Secretary/Special Secretary (Finance) to the Govt. of Himachal Pradesh.	<i>Member</i>
3.	Principal Secretary/Secretary/Special Secretary (Transport) to the Govt. of Himachal Pradesh.	<i>Member</i>
4.	Managing Director, HPSIDC Ltd; Shimla.	<i>Member</i>
5.	Commissioner (Excise & Taxation Department) to the Govt. of Himachal Pradesh.	<i>Member</i>
6.	Commissioner/Director Industries, Himachal Pradesh	<i>Member Secretary</i>

The role and functions of the State Level Committee, will be the same as notified earlier vide notification referred to above.

By order
(R.D DHIMAN),
Principal Secretary (Inds).

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd September, 2016.

No. Ind-II(C)10-2/2016.—In supersession of this Department notification No. Ind-II(C)10-5/2006, dated 24-05-2010, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to reconstitute the State Level Committee of the following for scrutiny of subsidy claims under Central Transport Subsidy Scheme, 1971 in the State:—

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Commissioner Industries/Director of Industries, H.P | <i>Chairman</i> |
| 2. | Special Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary (Finance) to the govt. of H.P. | <i>Member</i> |
| 3. | Joint Secretary/Deputy Secretary/Under Secretary (Industries) to the Govt. of H.P. | <i>Member</i> |
| 4. | Industrial Advisor/Joint Director of Industries/
Dy. Director of Industries, H.P incharge of this Subject | <i>Member Secretary</i> |

By order,
(R. D. DHIMAN),
Principal Secretary (Inds.).

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला—171009, 16 सितम्बर, 2016

संख्या:1-484/99-फिन[एल0ए0]खण्ड-2(पार्ट)-4966.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश में तत्काल प्रभाव से सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) के एक पद को सृजित करते हैं, जिसे आऊटसोर्सिंग के आधार पर भरा जायेगा।

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित /—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)।

Proclamation of Sale under section 85 of the H. P. Land Revenue Act

Whereas arrear of land revenue amounting to Rs. 30,000/- has been accrued in respect of the land described in the schedule below in the estate and the sanction of the Divisional Commissioner, Mandi Division Mandi has been conveyed vide letter No. Commr. Mandi-LR-ALR—H-13-(4)/07-5080 dated 02-08-2016 under section 81 of the H.P. Land Revenue Act to sale the immovable property, detailed in the annexed schedule for the recovery of the said arrear, this is to give notice that the said immovable property will be sold by auction at patwar circle Rangar on the 21st day of October, 2016 at 11:30 AM. Land revenue amounting to Rs. (to be assessed later) per annum on the above said estate payable in respect of the said holding. Any person intending to claim a right of pre-emption must on pain for forfeiting the right give notice of his intention to me on an office day before that fixed above for the sale. This sale will be made subject to the provision of section 76, section 85(d) of the H. P. Land Revenue Act free from all encumbrances.

SCHEDULE OF PROPERTY;

OWNER: Chander Parkash s/o
Gappa Ram

Tikka	Mouza	Khata No.	Khatauni No.	Khasra Kita./	Land Measuring	Share Measuring
Jandral Ranautan	Rangar	28	28	20, 34, 40 99, 318, 323 325, 327, 338	19K-4M	6K-8M
				Kita—9		

As per jamabandi for the year 2010-11 for Tika jandral Ranautan Mouza Rangar Tehsil Sujampur District Hamirpur or corresponding land/numbers in subsequent jamabandi, if any.

Place: Hamirpur
Dated:

District Collector,
District Hamirpur (H.P.).

Proclamation of Sale under section 85 of the H. P. Land Revenue Act

Whereas arrear of land revenue amounting to Rs. 10,000/- has been accrued in respect of the land described in the schedule below in the estate and the sanction conveyed by the Divisional Commissioner, Mandi Division Mandi vide letter No. Commr. Mandi-LR-ALR— H-13-(4)/07-6060 dated 16-10-2015 under section 81 of the H. P. Land Revenue Act to sale the immovable property as detailed in the annexed schedule for the recovery of the said arrear, this is to give notice that the said immovable property will be sold by auction at patwar khana Lag. on the 23rd day of October, 2016 at 11:30 AM. Land revenue amounting to Rs. (to be assessed later) per annum on the above said estate payable in respect of the said holding. Any person intending to claim a right of pre-emption must on pain for forfeiting the right give notice of his intention to me on an office day before that fixed above for the sale. This sale will be made subject to the provision of section 76, section 85(d) of the H. P. Land Revenue Act free from all encumbrances.

SCHEDULE OF PROPERTY:

OWNER: Legal heirs of deceased
Vinod Kumar

Tikka	Mouza	Khata No.	Khatauni No.	Khasra Kita./	Land Measuring	Share Measuring
1. Bhater	Lagwalti	36	90 to 97	56	41 K-16 M	0-5Marla
2. Ladiar	Lagwalti	15	18 to 18/1	13	20 Kanal	0-10 Marla
3. -do-	-do-	39 Min	51	5	9 Kanal 2 M	0-4 Marla

As per jamabandi for the year 2005-06 for Tika Bhater and 2005-06 for tikka Ladiar Mouza Lagwalti Tehsil Tauni Devi District Hamirpur or corresponding land/numbers in subsequent jamabandi, if any.

Place: Hamirpur
Dated:District Collector,
District Hamirpur (H.P.).

कार्मिक विभाग (नियुक्ति- I I)

अधिसूचना

शिमला-2, 15 सितम्बर, 2016

संख्या: पर(एपी-बी)डी(3)-4/2001-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पर (एपी-बी) डी (3)-4/2001, तारीख 28-01-2004 द्वारा जारी और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 28-01-2004 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर (कार्य संचालन नियम और प्रक्रिया) नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर (कार्य संचालन नियम और प्रक्रिया) द्वितीय संशोधन नियम, 2016 है ।

2. नियम 16 का संशोधन.— (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर (कार्य संचालन नियम और प्रक्रिया) नियम, 2004 के नियम 16 के उप-नियम 16.8 के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“16(8) आयोग की सिफारिशें, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को नियुक्ति का प्रस्ताव दिए जाने तक या सिफारिशें किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक, जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य रहेंगी। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा विद्यमान पैनल से, जब तक प्रवर्तनीय पैनल निश्चित नहीं हो जाता है या छह मास नहीं हो जाते हैं, जो भी पूर्वतर हो, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियमों के समरूप पदों के लिए विभिन्न विभागों से जब भी और (अतिरिक्त) रिक्तियों की बाबत अध्यपेक्षाएं प्राप्त होती हैं, सिफारिशें की जाएगी।” ।

आदेश द्वारा,
वी सी फारका,
मुख्य सचिव

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP.B)D(3)-4/2001-III, dated 15-09-2016, as required under article 348(3) of the Constitution of India.]

PERSONNEL DEPARTMENT (AP.II)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th September, 2016

No. Per (AP.B)D(3)-4/2001-III.—In exercise of the powers conferred by Article 162 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur (Rules of Business and Procedure) Rules, 2004, issued vide Notification No. Per(AP.B)D(3)-4/2001, dated 28-01-2004 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) dated 28-01-2004, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur (Rules of Business and Procedure) 2nd Amendment Rules, 2016.

2. Amendment of rule16.— (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh. In rule 16 of the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur (Rules of Business and Procedure) Rules, 2004, for sub-rule 16.8, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“16.8 The recommendations of the Commission will be valid till the appointments are offered to the candidates by the Appointing Authority or for a period of one year from the date of recommendations whichever is earliest. Further, the recommendations shall be made by the Commission from the existing panel as and when the requisitions in respect of the additional vacancies are received from different departments for similar posts with common Recruitment and Promotion Rules till the waiting panel in operation is exhausted or six months, whichever is earlier.”

By Order,
V. C. PHARKA,
Chief Secretary .

PERSONNEL DEPARTMENT APPOINTMENT-II**NOTIFICATION***Shimla-171 002, the 6th September, 2016.*

No. Per (AP-B)A(3)-2/2016.—In partial modification of this Department Notification No. Per(AP.B)A(3)-4/2005 dated 20th April, 2006 and in pursuance of the notification published in the Gazetted of India Extra Ordinary Part-II No. 25 Rajpatra-31 1927 (SAKA) Right to Information Act 2005 No-22 of 2005 dated 15th June, 2005, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-designate the following officers as Appellate Authority and Public Information Officers at various levels for citizen to secure access to information under the control of public authorities for promoting transparency and accountability in the working of every public authority in the Department of Personnel with immediate effect:—

Sl. No.	Designation	Telephone No	Designated as
1.	Special Secretary (Personnel)	0177-2622132 0177-2880619	
	Additional/Deputy Secretary (Personnel)		
	Under Secretary (Personnel) to the Govt. of Himachal Pradesh	0177-2624646 0177-2880895	Appellate Authority
	The Controller (F&A), Department of Personnel	0177-2628495 0177-2880685	
	Joint Controller (F&A), Department of Personnel		
2.	Section Officer (Personnel-I)	0177-2880445	
	Section Officer (Personnel-II)	0177-2880446	
	Section Officer (Personnel-III)	0177-2880496	
	Section Officer (Personnel-IV)	0177-2880828	
	Section Officer (Confidential Cell)	0177-2880448	
	Section Officer (Pers. Accounts)	0177-2880447	Public Information Officer

By order,
TARUN SHRIDHAR,
Addl. Chief Secretary (Personnel).

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

आदेश

शिमला—171002, 07 सितम्बर, 2016

संख्या: एफ0डीएस-ए(6)-1/2016.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग) मन्त्रालय द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण में तारीख 29-4-2016 को प्रकाशित एस0ओ01584 (ई) तारीख 29-04-2016 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कंट्रोल) आर्डर, 1981 के खण्ड 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, उक्त आर्डर से संलग्न शेड्यूल-1 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश (आर्डर) करते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और अवधि.**—(1) इस आर्डर का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) संशोधन आर्डर, 2016 है।

2. यह राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

3. यह 28 अक्टूबर, 2016 तक या भारत सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किसी आगामी आदेश तक, जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त रहेगा।

2. **शेड्यूल-1 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शेड्यूल के पार्ट "ई" (अदर आर्टिकलज) के अन्तर्गत मद संख्या 2 "आयोडाइज्ड साल्ट (आयोडीन नमक)" से पूर्व मद संख्या 1 "शुगर (चीनी)" अन्तः स्थापित की जाएगी।

आदेश द्वारा,
तरुण कपूर,
प्रधान सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS-A(6)-1/2016 dated as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

ORDER

Shimla-2, the 07th September, 2016

No. FDS-A(6)-1/2016.— In exercise of the powers conferred by clause 18 of the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981 read with S.O. 1584 (E) dated 29-04-2016, issued by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), Govt. of India, published in the Extra-Ordinary Gazette of India date 29-04-2016, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following Order further to amend the SCHEDULE-I appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, namely:—

1. **Short titled, Commencement and duration.**—(1) This order may be called the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Amendment Order, 2016.

2. It shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) It shall remain in force till 28-10-2016 or till any further order issued by the Government of India in this behalf, whichever is earlier.

2. Amendment of SCHEDULE-I.—In SCHEDULE-I appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, under Part-"E" (OTHER ARTICLES) before item No.2 "Iodized Salt", item No.1 "SUGAR" shall be inserted.

By order,
TARUN KAPOOR,
Principal Secretary (FCS&CA).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0-7/ई0एम0/2016

तारीख पेशी : 29-9-2016

श्रीमती वीना देवी पत्नी श्री नारायण सिंह, निवासी टिब्बी, डा0 काठगढ, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थिया

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार राजपत्र।

प्रार्थिया श्रीमती वीना देवी पत्नी श्री नारायण सिंह, निवासी टिब्बी, डा0 काठगढ, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसकी लड़की नितू रानी का जन्म दिनांक 24-2-1993 को उसके गांव टिब्बी, पंचायत काठगढ, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत काठगढ, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत नहीं करवाया जा सकी है उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त नितू रानी पुत्री नारायण सिंह, निवासी टिब्बी, डा0 काठगढ, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-9-2016 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत भू-सुधार अधिकारी एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : कुमारी शैलजा पुत्री श्री राम लाल पुत्र श्री दूनी चन्द, कुमारी कनिका पुत्री श्री श्याम लाल पुत्र श्री दूनी चन्द, कुमारी मालविका पुत्री श्री ज्ञानेश्वर दास पुत्र श्री दूनी चन्द, निवासी महाल चमोली मालकान।

बनाम

सुरजीत सिंह, पवन कुमार, रजिंदर कुमार, कृपाल सिंह, तरसेम सिंह पुत्र श्री चन्द पुत्र श्री सिंधू पुत्र श्री काहन स्थानीय वासी मुजारियान।

विषय.—तसदीक इन्तकाल नम्बर 498 महाल ध्याल, तहसील ज्वाली अताये हकूक मलकीयत जेर धारा 104(3) हि0 प्र0 भू-जोत एवम् भू-सुधार अधिनियम 1972.

नोटिस :

उपरोक्त विषय में इन्तकाल नम्बर 498 अताये हकूक मलकीयती वाक्या महाल ध्याल वावत भूमि खाता नम्बर 39, खतौनी नं0 73 ता 74 नम्बरान खसरा किता 24, रकबा तादादी 01—63—01 है0 मी0 स्थित महाल ध्याल मलकीयती कुमारी शैलजा पुत्री राम लाल पुत्र दुनी चन्द (1) कुमारी कनिका पुत्री श्याम लाल पुत्र दूनी चन्द (1) कुमारी मालविका पुत्री ज्ञानेश्वर पुत्र दुनी चन्द मालकान वहक सुरजीत सिंह, पवन कुमार, रजिन्द्र कुमार, कृपाल सिंह, तरसेम सिंह पुत्र चन्द पुत्र सिंध (2) भाग बाबू राम पुत्र सिंध पुत्र काहन (1) भाग गैर मोरसीयान मुजारियान।

अतः उपरोक्त मालकान को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त इन्तकाल की सुनवाई तिथि 28—09—2016 को मुकाम पटवार घर ढसोली में अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जानी है, अगर उक्त इन्तकाल की सुनवाई बारा किसी मालिक व मुजारियान को एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन उक्त तिथि को मुकाम ढसोली में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 7—09—2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

राजेश कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी महाल जुगेहड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—महाल जुगेहड़ के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरखास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल जुगेहड़ में राजेश कुमार पुत्र किशोरी लाल के बजाये तोता राम पुत्र किशोरी लाल दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने सही नाम राजेश कुमार पुत्र किशोरी लाल, का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती करने बारे किसी को कोई एतराज/उजर हो तो वह दिनांक 23—09—2016 को असालतन या

वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

रमन शर्मा पुत्र श्री गजेन्द्र पाल, निवासी महाल क्यारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—महाल चन्दरुण व क्यारी के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित दरखास्त गुजारी है कि उसके पिता का नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल चन्दरुण व क्यारी में जोगिन्द्र पाल पुत्र राम स्वरूप व जोगिन्द्र पाल पुत्र राम सरन दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के सही नाम गजेन्द्र पाल पुत्र राम सरन का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती करने बारे किसी को कोई एतराज/उजर हो तो वह दिनांक 23-09-2016 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

मोहर

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

साहिल चौधरी पुत्र श्री सरूप चन्द, निवासी बसनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—महाल बसनूर खास के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरखास्त गुजारी है कि उसके पिता का नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल बसनूर खास में सरूप कुमार पुत्र प्रतापो की बजाये स्वरूप कुमार पुत्र प्रतापो दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती करने बारे किसी को कोई एतराज/उजर हो तो वह दिनांक 23-09-2016 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

मोहर

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री दमोदर दास, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

श्रीमती नवृदा देवी पुत्री श्री जीवा नन्द, निवासी नौरी झिकली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती नवृदा देवी, निवासी नौरी झिकली, डाकखाना नौरी झिकली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) ने अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका अपना जन्म दिनांक 2-2-1957 को महाल नौरी झिकली में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 30-9-2016 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 27-8-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

मिसल : शून्य

. . तारीख दायरा : 02-09-2016

प्रीतम चन्द पुत्र शोजू राम, गांव पातल, फाटी सुचैहण कोठी वनोगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) प्रार्थी

बनाम

आम जनता

राजस्व अभिलेख में इन्द्राज की दुरुस्ती करने बारे इशतहार बनाम आम जनता।

प्रार्थी प्रीतम चन्द ने इस कार्यालय में आवेदन पत्र गुजार रखा है कि फाटी सुचैहण, कौठी वनोगी के गांव पातल के राजस्व अभिलेख वर्ष 1868 में प्रार्थी के पूर्वज पातल की जाति कोली दर्ज है परन्तु उसके उपरान्त उसके उत्तराधिकारियों की जाति का इन्द्राज गलत चला आ रहा है जो दुरुस्त किया जाए। अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जाति के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने बारे किसी को एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 25-09-2016 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि गुजर जाने के उपरान्त कोई भी एतराज समायत नहीं कर प्रार्थी की जाति के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 07-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सैज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

मिसल : शून्य

. . तारीख दायरा : 02-09-2016

थोलू राम पुत्र चलकी, गांव भरुथाच, फाटी सुचैहण कोठी वनोगी, उप-तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) प्रार्थी

बनाम

आम जनता

राजस्व अभिलेख में इन्द्राज की दुरुस्ती करने बारे इशतहार बनाम आम जनता।

प्रार्थी थोलू राम ने इस कार्यालय में आवेदन पत्र गुजार रखा है कि फाटी सुचैहण, कौठी वनोगी के गांव भरुथाच के राजस्व अभिलेख वर्ष 1868 में प्रार्थी के पूर्वज फुरु की जाति कोली दर्ज है परन्तु उसके उपरान्त उसके उत्तराधिकारियों की जाति का इन्द्राज गलत चला आ रहा है जो दुरुस्त किया जाए। अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जाति के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने बारे किसी को एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 25-09-2016 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि गुजर जाने के उपरान्त कोई भी एतराज समायत नहीं कर प्रार्थी की जाति के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 07-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सैज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

इश्तहार

ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

नारायण सिंह आयु 31 साल, श्री हरफु राम, निवासी गांव रैला, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत पिता की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि नारायण सिंह आयु 31 साल, श्री हरफु राम, निवासी गांव रैला, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक दरखास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में प्रार्थी के पिता श्री हरफु राम पुत्र श्री बीरु की मृत्यु तारीख दर्ज नहीं है जबकि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 15-04-2003 को हो चुकी है जिसे दर्ज करने बारे शपथ पत्र भी संलग्न है। अतः इसे दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 10-10-2016 को या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 7-9-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।

इश्तहार

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 38/22-08-2016

श्री लाला पुत्र श्री कौलू निवासी गांव चोहडी बटवाडा, डाकखाना थाची, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करवाने बारा।

श्री लाला पुत्र श्री कौलू निवासी गांव चोहडी बटवाडा, डाकखाना थाची, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम

पंचायत रिकार्ड में लाला दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल चोहडी बटवाडा में नेत्र सिंह दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी पंचायत रिकार्ड के आधार पर अपना नाम लाला रखना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-09-2016 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 29-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

इशतहार

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 38/22-08-2016

श्री टेक सिंह पुत्र श्री दुधी राम, निवासी गांव भनवास, डाकघर सोमनाचनी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करवाने बारा।

श्री टेक सिंह पुत्र श्री दुधी राम, निवासी गांव भनवास, डाकघर सोमनाचनी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में टेक सिंह दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल भनवास, बागी तथा बूंग में टोडर चन्द दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी पंचायत रिकार्ड के आधार पर अपना नाम टेक सिंह रखना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-09-2016 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 29-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

इश्तहार

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 40/06-09-2016.

श्री जय राम पुत्र श्री फागणू, निवासी गांव सैम्पूर, डा0 खा0 खोलानाल, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करवाने बारा।

श्री जय राम पुत्र श्री फागणू, निवासी गांव सैम्पूर, डा0 खा0 खोलानाल, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में जय राम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल खोलानाल में जै सिंह दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपना नाम जय सिंह रखना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 06-10-2016 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 06-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

दलीप कुमार,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 41/06-09-2016.

श्री नागधर पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी सुपतडाओ, डा0 खा0 पंजाई, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करवाने बारा।

श्री नागधर पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी सुपतडाओ, डा0 खा0 पंजाई, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत

रिकार्ड में नागधर दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल काऊ व डोभा में गोपाल दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी पंचायत रिकार्ड के आधार पर अपना नाम नागधर रखना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 06-10-2016 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 06-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

दलीप कुमार,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री डोडू, निवासी गाहरु, डाकघर कलैहडू, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीक दोयम

श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री डोडू, निवासी गाहरु, डाकघर कलैहडू, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम महेन्द्र सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल गाहरु में प्रार्थी का नाम महेन्द्र लिखा गया है जो गलत है अब नाम दुरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 30-09-2016 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 02-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री खजाना, निवासी अमेहड, डाकघर बसौना, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीक दोयम

श्री रघूवीर सिंह पुत्र श्री खजाना, निवासी अमेहड, डाकघर बसौना, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि० प्र०) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम रघूवीर सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल अमेहड में प्रार्थी का नाम रघू लिखा गया है जो गलत है अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 30-09-2016 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 02-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री गुरमीत जी० नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि० प्र०

कु० कोकीला मेहता पुत्री श्री राम कृष्ण मेहता, निवासी बाडी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि० प्र०
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में श्री राम कृष्ण मेहता पुत्र श्री नाथू राम, निवासी बाडी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि० प्र० ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री कु० कोकीला मेहता का जन्म दिनांक 25-02-1991 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत जगोटी के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत जगोटी को दिये जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत जगोटी में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वे दिनांक 26-09-2016 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत जगोटी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 2-9-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुरमीत जी० नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रोहडू, जिला शिमला (हि० प्र०)।

**In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub Divisional Magistrate Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Shri Surjeet Singh Arora s/o Late Sardar Amreek Singh, r/o Arora Niwas near Man House
Shankli, Tehsil & District Shimla, H.P. . . Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Surjeet Singh Arora s/o Late Sardar Amreek Singh, r/o Arora Niwas near Man House Shankli, Tehsil & District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration the name and date of birth of his daughter namely Kirandeep Kaur (DOB 13-01-1990) in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla, H.P.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 15-10-2016 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 14th day of September, 2016.

Seal.

HEMIS NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).

ब अदालत श्री मनजीत शर्मा सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि० प्र०

मुकदमा नं० : 16-IX/2016

तारीख मरजुआ : 23-2-2016

तारीख पेशी : 11-08-2016

1. श्री ओम प्रकाश पुत्र नरायण दत्त, निवासी धमून, तहसील व जिला शिमला, हि० प्र० . . . प्रार्थी

बनाम

1. श्री जीत राम पुत्र श्री राम दास, निवासी शीडा खुर्द, तहसील व जिला शिमला, हि० प्र०
2. श्री लेख राम पुत्र श्री नरायण दत्त, निवासी शीडा खुर्द, तहसील व जिला शिमला, हि० प्र०
3. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री नरायण दत्त, निवासी शीडा खुर्द, तहसील व जिला शिमला, हि० प्र०
4. श्री अमर दत्त शर्मा पुत्र श्री नरायण दत्त, निवासी शीडा खुर्द, तहसील व जिला शिमला, हि० प्र०
5. श्री मदन लाल पुत्र श्री नरायण दत्त, निवासी शीडा खुर्द, तहसील व जिला शिमला, हि० प्र०
6. श्री हेम राज पुत्र श्री नरायण दत्त, निवासी शीडा खुर्द, तहसील व जिला शिमला, हि० प्र०
7. श्री राधा कृष्ण पुत्र श्री नरायण दत्त, निवासी शीडा खुर्द, तहसील व जिला शिमला, हि० प्र०
8. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नरायण दत्त, निवासी शीडा खुर्द, तहसील व जिला शिमला, हि० प्र०
9. श्रीमती बिमला पुत्री श्री नरायण दत्त, निवासी शीडा खुर्द, तहसील व जिला शिमला, हि० प्र०
10. श्रीमती बेसरु पुत्री श्री नरायण दत्त, निवासी शीडा खुर्द, तहसील व जिला शिमला, हि० प्र०
11. श्रीमती सत्या पुत्री श्री नरायण दत्त, निवासी शीडा खुर्द, तहसील व जिला शिमला, हि० प्र०
12. श्रीमती गीता पुत्री श्री नरायण दत्त, निवासी शीडा खुर्द, तहसील व जिला शिमला, हि० प्र०
13. श्रीमती कमला पुत्री श्री नरायण दत्त, निवासी शीडा खुर्द, तहसील व जिला शिमला, हि० प्र०
14. श्रीमती गौरी पुत्री श्री नरायण दत्त, निवासी शीडा खुर्द, तहसील व जिला शिमला, हि० प्र०

सर्वश्री ओम प्रकाश पुत्र श्री नरायण दत्त, निवासी धमून, तहसील व जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धरा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु अराजी खाता नं0/खतौनी नं0 5/12 से 14 किता 31, मौजा शीडा खुर्द, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हि0 प्र0 बारे प्रस्तुत किया है। उपरोक्त प्रतिवादी नं. 1 से 58 की तामील हेतु कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किये गये परन्तु अदम तामील व अधूरा पता होने के कारण तामील न हो सकी। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण जानबूझ कर उपरोक्त मुकदमा में पेश न हो रहे हैं।

अतः अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 से 58 की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है। अतः ईशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकदमा भू-विभाजन बारे उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 29-9-2016 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 3-9-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शिमला ग्रामीण, जिला शिमला।

सूचना

मैं, नरेंद्र कुमार दत्ता सुपुत्र स्वर्गीय श्री देवव्रत दत्ता, गांव व डा0 पठियार, तहसील नगरोंटा बगवां, जिला कांगड़ा का स्थाई निवासी हूं। ग्रीन फील्ड उच्चतर माध्यमिक पाठशाला नगरोंटा बगवां (चाहड़ी) के रिकार्ड में प्रार्थी की बेटी का नाम शौर्या दर्ज है, जबकि असली नाम शौर्या दत्ता पुत्री नरेंद्र कुमार दत्ता है। आधार कार्ड संख्या 510321611886 में नाम शौर्या दत्ता अंकित है एवं प्रार्थी के नाम की स्पेलिंग NARINDER KUMAR DUTTA है।

नरेंद्र कुमार दत्ता,
सुपुत्र स्वर्गीय श्री देवव्रत दत्ता,
गांव व डा0 पठियार, तहसील नगरोंटा बगवां,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

